कार्यालय संयुक्त निदेशक फायर सर्विस मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ।

पत्रांक:रिनु/जे0डी0/फा0स0/लखनऊ–17(गाजि0)/ 196/232 दिनांक: अप्रैल 30 2017,

सेवा मे,

प्रबन्धक/स्वामी,
मैसर्स शोमैन क्लब्स एण्ड इनस प्रा0लि0,
प्लाट न0–16 अहिंसा खण्ड–01, इन्दिरापुरम
जनपद–गाजियाबाद।

विषय: **मैसर्स शोमैन क्लब्स एण्ड इनस प्रा0लि0, द्वारा प्लाट न0–16 अहिंसा खण्ड–01, इन्दिरापुरम जनपद गाजियाबाद मे निर्मित व्यवसायिक भवन फेज–1, के सहभवन (ब्लाक–ए0,बी0,सी0,ई0,एफ0जे0,एच0 एवं एल0) की अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र का वर्ष 2017–2018 हेतु वार्षिक नवीनीकरण प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।**

सन्दर्भ: यूआईडी:2015/14352/जीजैडबी/गाजियाबाद/955/जे0डी0

महोदय,

कृपया अपने प्रार्थना पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके माध्यम से प्रश्नगत भवन की अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र का वार्षिक नवीनीकरण वर्ष 2017–2018 हेतु निर्गत किये जाने का अनुरोध मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद से किया गया है।

प्रश्नगत भवन के स्थल का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी वैशाली गाजियाबाद श्री अजय कुमार शर्मा से कराया गया तथा उनकी आख्या पत्रांक:क–5/एफएसवी–2013 दिनांक: 19–04–2017 का सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण कर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद की संयुक्त कमेटी द्वारा अपनी आख्या दिनांक: 24–04–2017 उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी जिसका परीक्षण किया गया एरिया विवरण निम्नवंत है:–

प्रश्नगत भवन को पूर्व मे निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र का विवरण:– आर–116/जे0डी0/फा0स0/लखनऊ–13(गाजि0)/680 दिनांक: 17–12–2015

भवन की संरचना :– कुल प्लाट एरिया– 50,800.00 वर्ग मी0।

क्रमांक	तलों का विवरण	आच्छादित क्षेत्रफल वर्ग मी0	अधिभोग
1	भूतल	8052.79	शॉप्स
2	प्रथम	6510.90	शॉप्स
3	द्वितीय	2466.16	शॉप्स
4	लोवर बेसमेन्ट	21375.63	कार पार्किंग
5	अपर बेसमेन्ट	11488.85	कार पार्किंग

भवन की ऊँचाई:– 13.80 मीटर।

भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणी :– भवन का अधिभोग व्यवसायिक क्लब एवं होटल (एन0बी0सी0–2005 आवासीय श्रेणी ए–5) के अर्न्तगत वर्गीकृत किया गया है।

ढॉचागत व्यवस्था :–

1–पहुॅच मार्ग :–भवन के सामने 30.00 मीटर चौडा रोड़ उपलब्धहै।

2–प्रवेश/निकास द्वार:– प्रवेश द्वार की चौड़ाई 06.00 मीटर है।

3–सैटबैक :– प्रश्नगत भवन के सैटबैक निम्नवत है:–

ए0–अग्रभाग–15.00 मी0।
बी0–पृष्ठ भाग–15.00 मी0।
सी0–पार्श्व भाग प्रथम–15.00 मी0।
डी0–पार्श्व भाग द्वितीय–15.00 मी0।

उपरोक्तानुसार भवन परिसर में चारो ओर अग्निशमन की आवश्यकताओं के दृष्टिगत लगभग 6.0 मीटर मोटरेबुल मार्ग उपलब्ध है। यह मार्ग सदैव ओपेन टू स्काई अवरोध रहित रखा जाना अनिवार्य होगा। सैटबैक सदैव अवरोध मुक्त रखे जायेंगे। सैटबैक में किसी प्रकार का स्थाई/अस्थाई निर्माण कार्य अनुमन्य नहीं होगा।

4–निकास मार्ग:–प्रश्नगत भवन 08 ब्लाको के रूप मे निर्मित है, जो आपस मे इण्टरकनेक्ट किये गये है, जिनमे प्रत्येक ब्लाक मे 01 स्टेयर चौडाई 1.50 मीटर के उपलब्ध है, जो टेरिस तक जा रही है। बेसमेन्ट मे 02 रेम्प एवं 08 स्टेयर उपलब्ध है , निकास मार्ग की फलोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।

(अरविन्द कुमार)
संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस
उ0प्र0 लखनऊ

5–रिफ्यूज एरिया का विवरण :– भवन के एन0बी0सी0 मानक के अनुसार रिफ्यूज एरिया अनुमन्य नही है।

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था– प्रश्नगत भवन मे नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया मानक के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार निम्न स्थापित पाई गई जिनका विवरण निम्नवत है:–

1–होजरील:–प्रश्नगत भवन मे प्रत्येक तल पर होजरील, लैण्डिंग वाल्व, होज पाइप एवं ब्रान्च पाईप का प्राविधान एन0बी0सी0 मानको के अनुसार स्थापित एवं कार्यशील दशा मे पाई गई।

2–भूमिगत टैंक:– प्रश्नगत भवन परिसर मे अग्निशमन व्यवस्था हेतु 3,60,000 (तीन लाख साठ हजार) ली0 क्षमता का भूमिगत टैंक स्थापित है।

3–पम्प:– प्रश्नगत भवन मे भूमिगत टैंक के पास 02 अदद विद्युत चालित मैन फायर पम्प क्षमता 2850 एल0पी0एम0, व समान क्षमता का डीजल चालित पम्प एवं 180 एल0पी0एम0 क्षमता का एक अदद जौकी पम्प स्थापित है।

4–टेरिस टैंक:– प्रश्नगत भवन की टेरिस पर टेरिस टैंक 50,000 हजार ली0, क्षमता का स्थापित है।

5–वेटराईजर:– प्रश्नगत निर्मित भवन मे वेटराइजर आई0एस0–3844–1989 के अनुसार स्थापित एवं कार्यशील दशा मे पाई गई।

6–यार्ड हाईड्रेन्ट:–प्रश्नगत भवन परिसर मे रिंग लाइन एवं उस पर फायर हाईड्रेन्ट बी0आईएस–13039:1991 के अनुसार कार्यशील दशा में स्थापित है।

7–प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):– भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0–2190 के अनुसार कार्यशील दशा मे स्थापित पाये गये।

8–मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम:–सम्पूर्ण भवन मे मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार स्थापित है।

9–आटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम:–प्रश्नगत भवन मे आटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार स्थापित है।

10–आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम:– प्रश्नगत सम्पूर्ण भवन मे ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार स्थापित है।

11–स्मोक एक्स्ट्रक्शन सिस्टम:– प्रश्नगत भवन के बेसमेन्ट मे स्मोक एक्सट्रेक्शन सिस्टम स्थापित है।

12–एग्जिट साईनेज:–सम्पूर्ण भवन मे एग्जिट साईनेज की स्थापना मानको के अनुसार है।

14–पी0ए0 सिस्टम:– सम्पूर्ण भवन मे पी0ए0 सिस्टम की स्थापना मानको के अनुसार है।

अतः उपरोक्तानुसार संस्तुति आख्याओं के आधार पर मे प्रश्नगत मैसर्स शोमैन क्लब्स एण्ड इनस प्रा0 लि0, द्वारा प्लाट न0–16 अहिंसाखण्ड–1 इन्दिरापुरम जनपद गाजियाबाद मे निर्मित व्यवसायिक भवन फेज–1, के सहभवन (ब्लाक–ए0,बी0,सी0,ई0,एफ0जे0,एच0 एवं एल) मे स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं का वर्ष 2017–2018 हेतु वार्षिक नवीनीकरण प्रमाण पत्र निम्न शर्तो के अधीन किया जाता है:–

1–भवन प्रबन्धक भवन मे अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा मे बनाऐं रखने हेतु मैन्टीनेन्स सैडयूल बनाया जाये तथा उसी के अनुसार कार्यशील दशा मे रखा जायें।

2–भवन मे स्थापित अग्निशमन प्रणाली के संचालन हेतु नियमित प्रशिक्षित स्टाफ नियुक्त किया जाये।

3–भवन मे स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना अविलम्ब स्थानीय अग्निशमन केन्द्र को दी जाए।

4–भवन मे किसी प्रकार का निर्माण कराये जाने से पूर्व अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

5–प्रत्येक छः माह मे एक बार भवन मे कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को मॉक ड्रिल/फायर ड्रिल कराई जायें तथा इमरजेन्सी इवेक्यूशन प्लान बनाया जाए इसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियों को प्रदान कराई जाए।

6–विद्युत सुरक्षा के सम्बन्ध मे विद्युत सुरक्षा निदेशालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

7–वर्ष मे एक बार अग्निशमन विभाग से सिस्टम के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

8–भवन मे स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओ के अनुरक्षण के अभाव मे अथवा लापरवाही के कारण सिस्टम अकार्यशील दशा मे पाये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक का होगा।

9–उक्त शर्तो का उल्लघंन पाये जाने की दशा मे निर्गत प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

(अरविन्द कुमार)
संयुक्त निदेशक फायर सर्विस,
उ0प्र0 लखनऊ।

प्रतिलिपि: 1–उपनिदेशक, फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।

2–मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।

3–अग्निशमन अधिकारी वैशाली जनपद गाजियाबाद को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।